I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB KARNAL **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0012 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/08/2018 13:37 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	204
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	120-B
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 27/10/2011 **Date To (दिनांक तक):** 28/08/2018

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/08/2018 **Time (समय):** 13:37 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 28/08/2018 13:37 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 3 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): Behind KCGMC Karnal,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Sh. Shyam Lal HPS DSP ACTING SP SVB Karnal

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 12/06/1962 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	Present Address	State Vigilance Bureau Karnal, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	State Vigilance Bureau Karnal, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address(वर्तमान पता)**
1	प्रमोद कुमार पटवारी			1. तहसील करनाल, BUTANA,KARNAL,HARYANA,INDIA
2	लगभग 50 अन्य कब्जा धारक			1. करनाल,KARNAL,HARYANA,INDIA 2. करनाल,KARNAL,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	**Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मोहरर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल] करनाल यह है कि जॉच क्रमांक 05 दिनांक 19.02.2018 करनाल विरूद्ध अधिकारी/कर्मचारी नगर निगम स्वास्थ्य विभाग करनाल] अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के यादि क्रमांक 52/2/2018-2 चौकसी-II दिनांक 12.02.2018 की अनुपालना में महानिदेशक] राज्य चौकसी ब्यूरो] हरियाणा] पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 2137-40@आई-6@रा0चौ0ब्यू0 (ह0) पंचकुला दिनांक 20.02.2018 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर इस कार्यालय के डायरी क्रमांक 200 दिनांक 26.02.2018 अनुसार मुझे पडताल हेतू प्राप्त हुई। जिसमें आसूचना रिपोर्ट के अनुसार आरोप था कि अधिकारी/कर्मचारी नगर निगम करनाल व अधिकारी/कर्मचारी जन स्वास्थ्य विभाग करनाल से मिली भगत करके पंडित जिले सिंह पिचौलिया प्रदेश अध्यक्ष] हरियाणा प्रान्तीय ब्रहामण सभा] मैसर्ज नागपाल मार्बल मॉडल टाउन करनाल व अन्य द्वारा कल्पना चावला हस्पताल के पीछे लगते गन्दे नाले की बेशकीमती जमीन जिसकी कीमत करोडो में है] को अपनी कोठियों व दुकानों में मिलाकर 50 व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने बारे व गन्दा नाला जो लगभग 30 फुट चौडा था] को 8 फुट छोडकर बाकी पर कब्जा करने का आरोप है। पडताल के दौरान पब्लिक हैल्थ से प्राप्त रिकॉर्ड के अध्ययन पर पाया गया कि कल्पना चावला हस्पताल के पीछे बने गन्दा नाला की मलकियत जन स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तो सिर्फ पक्का नाला बनाया गया था। जो यह नाला पूर्व एक्स0ई0एन0 सुनील कुमार व एस0डी0ओ0 अशोक कुमार जन स्वास्थ्य विभाग करनाल द्वारा बिना कोई निशानदेही व ड्राईंग तैयार करवाकर जितना नाला बहता था अपनी सुविधा के अनुसार पक्का करने तथा बलजीत सिंह कानूनगो तहसील करनाल द्वारा रिकार्ड गुम होने बारे मालूम होने पर भी कोई कार्यवाही ना करके घोर लापरवाही का परिचय देने पर एक्स0ई0एन0 सुनील कुमार जन स्वास्थय विभाग करनाल] एस0डी0ओ0 अशोक कुमार जन स्वास्थय विभाग करनाल व बलजीत सिंह कानूनगो तहसील करनाल के खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विस नियम-7 सन् 1988 की कार्यवाही का सुझाव दिया गया था। दौराने जांच पाया गया कि पटवारी प्रमोद कुमार द्वारा दिनांक 27.10.2011 को शिजरा आबादी करनाल शहर व इन्तकाल रजिस्टर 10985 से 11383 तक की गुमशुदगी लिखवाई है। जिसने अपने ब्यान में बतलाया कि मैं निशानदेही करने जा रहा था जो रास्ते में उपरोक्त शिजरा व इन्तकाल रजिस्टर गुम हो गया। जो प्रमोद कुमार पटवारी के ब्यान से यह साबित नहीं होता कि वो किसकी निशानदेही करने गया था और तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27.10.2011 का करनाल कस्बा की निशानदेही का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रमोद कुमार पटवारी ने कल्पना चावला हस्पताल के पीछे बने गन्दा नाला पर अवैध कब्जा धारकों से मिली भगत करके जानबूझकर उपरोक्त शिजरा व इन्तकाल रजिस्टर गुम किया है ताकि कल्पना चावला हस्पताल के पीछे बने गन्दा नाले की निशानदेही ना हो सके। प्रथम दृष्टि से पाया गया है कि उपरोक्त प्रमोद कुमार पटवारी ने कल्पना चावला हस्पताल के पीछे बने नाले की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दिलवाकर कब्जा धारकों को लाभ पहुचाकर अपने पद का दुरूपयोग किया है। जिससे सरकार को करोडों रूपयों का नुकसान हुआ और नाले के साथ लगते मकान मालिकों ने पक्के बने नाले के उपर अपने निर्माण को आगे बढाकर सभी मकान मालिकों ने कब्जे कर लिए जो यथावत जारी है। जो प्रमोद कुमार तत्कालीन पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) डी0 व 409 भा0द0स0 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने की सिफारिश की गई थी। जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के यादि क्रमांक 52/2/2018-2 चौकसी-II दिनांक 16.08.2018 की अनुपालना में महानिदेशक] राज्य चौकसी ब्यूरो] हरियाणा] पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 11792@आई-6@रा0चौ0ब्यू0 (ह0) पंचकुला दिनांक 16.08.2018 अनुसार प्रमोद कुमार पटवारी तहसील करनाल के विरुद् मुकदमा जेरधारा 13 (1) डी0पी0सी0 एक्ट 1988 व धारा 409 भा0द0स0 के तहत दर्ज रजिस्टर किए जाने के आदेश प्राप्त हुए है। जिस पर तहरीर लिखकर मुकदमा दर्ज करने हेतू मोहरर थाना के पास भेजी जा रही है। लिहाजा मुकदमा दर्ज करके स्पैशल रिपोर्ट से हल्का मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को सूचित किया जाए। अजः थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल करनाल Sd श्याम लाल ह0पु0से0 कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल, करनाल अजः थाना हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नं0 12 दिनाँक 28-08-2018 जेर धारा 204, 409 व 120-बी भा0द0स0 व 13 (1) डी0 पी0 सी0 एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार कि गई। अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को बजरियां E-Mail द्वारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस, असल तहरीर मय आमदा रिकार्ड को आगामी तफतीश हवाले श्री राज सिंह ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो0 करनाल की जाएगी।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** Raj singh (Dy. SP (Deputy Superintendant of Police))/dsp **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Raj singh

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): dsp

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					**Is Proxitted:** Yes
2	Unknown					**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोडेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)